प्रकरण संख्या 14/2018 नाथूलाल बनाम प्रकाश व अन्य

तारीख हुक्म	हुक्म पर कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
06.06.2022	पत्रावली वास्ते आदेश पेश हुए। प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि हाल अपीलान्ट ने अधिनस्थ न्यायालय में एक वाद अन्तर्गत धारा 188, 251ए, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी के स्वामित्व एवं आधिपत्य तथा कब्जे काश्त की आराजी नंबर 991 रकबा 0.07 हैक्टर भूमि ग्राम पिन्डारमा में स्थित है। इस भूमि के सह खातेदार धूलजी ने अपना कब्जा छोड़ दिया है, जिससे समस्त आराजी पर कब्जा वादी अकेले का होकर काश्त करता चला आ रहा है। प्रतिवादीगण का उक्त आराजी में कोई हित अधिकार नहीं होते हुए भी जबरन कब्जा करने पर आतुर हैं तथा वादी का रास्ता बन्द करने पर उतारू हैं, जिससे प्रतिवादीगण को रोका जाना आवश्यक है। अतः प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे। अधिनस्थ न्यायालय ने प्रकरण राजस्व लोक अदालत में रखकर अपने निर्णय दिनांक 04.07.2017 से पटवारी रिपोर्ट के आधार पर वादी का वाद खारिज कर दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/वादी द्वारा इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 20.04.2018 को प्रस्तुत की गयी है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये गये, किन्तु रेस्पोन्डेन्टगण बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी एवं वकील अपीलान्ट की बहस सुनी गयी। अपील के साथ दफा 5 जाब्ता मियाद का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्ट बीमार होने एवं मजदूरी पर बाहर जाने से अपने अभिभाषक से सम्पर्क नहीं कर सका। दिनांक 23.03.2018 को सम्पर्क करने पर उक्त निर्णय व डिक्री की जानकारी हुई। जानकारी दिनांक से अपील अन्दर अवधि प्रस्तुत कर दी गयी है। अतः मयाद कण्डोन फरमायी जाकर अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे। ताईद में शपथ पत्र पेश किया। अखण्डित शपथ पत्र, व्यक्तिगण एवं न्यायहित में मयाद कण्डोन की जाकर अपील ग्रहण की जाती है। जहां तक प्रकरण के गुणावगुण का प्रश्न है, अपीलान्ट	

Signature Not Verified
Digitally signed by Anita Meena
Date: 2022.07.12 15:40:35 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण संख्या 14/2018 नाथूलाल बनाम प्रकाश व अन्य

द्वारा मुख्य रूप से यह उजर लिया गया कि प्रकरण में जवाब निर्धारित होने के बावजूद प्रतिवादी संख्या 1 से 4 व 6 की उपस्थिति दर्ज नहीं की गयी तथा राजस्व कैम्प में किसी प्रकार की सुनवाई किये बगैर मात्र पटवारी की एकपक्षीय रिपोर्ट के आधार पर वादी का वाद खारिज करने में अधिनस्थ न्यायालय ने भूल की है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री निरस्त फरमायी जावे तथा प्रकरण गुणावगुण पर निर्णय करने हेतु अधिनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किया जावे।

हमने अपीलान्ट द्वारा लिये गये उजरात पर मनन किया एवं अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली व रेकार्ड का अवलोकन किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की आदेशिका के अनुसार हालांकि अपीलान्ट व रेस्पोन्डेन्ट संख्या 5 उपस्थित हैं, किन्तु अन्य रेस्पोन्डेन्टगण को जवाब प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाना प्रकट नहीं होता है, जबकि लोक अदालत में प्रकरण सभी पक्षकारों की सहमति के आधार पर किये जाते हैं। प्रकरण में हम यह भी पाते हैं कि पटवारी द्वारा जो रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी है, वह भी पक्षकारान की उपस्थिति में तैयार किया जाना प्रकट नहीं होता है। ऐसी स्थिति में उक्त एकपक्षीय पटवारी रिपोर्ट एवं रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 4 व 6 की लोक अदालत में किसी प्रकार की सहमति नहीं होने के बावजूद अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया गया है वह प्रथम दृष्टया त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 04.07.2017 अपास्त की जाती है तथा पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को पुनः इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में पक्षकारान को सुनवाई का पूर्ण अवसर देकर एवं सुनकर साक्ष्य सबूतों के आधार पर निर्णय पारित करें। पक्षकारान अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 08.08.2022 को उपस्थित रहें। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविश्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 06.06.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anita Meena
Date: 2022.07.12 15:40:35 IST
Reason: SelfAttested

ीता मीना)
भू— ध अधिकारी
अधिकारी
उदयपुर